संक्षिप्त

यूथ पार्लियामेन्ट का आयोजन 21 फरवरी को

कोटपूतली। यहां के राजकीय एलबीएस पी.जी. महाविद्यालय में आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा एवं युवा कार्यक्रम तथा खेल मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय विकसित भारत यूथ पार्लियामेन्ट 2026 का आयोजन आगामी 21 फरवरी को किया जायेगा। कार्यवाहक प्राचार्य डॉ, सीमा पन्त ने बताया कि यूथ पार्लियामेन्ट 2026 में वाद-विवाद का विषय आपातकाल के 50 वर्ष भारतीय लोकतंत्र के लिये सबक रहेगा। कार्यक्रम के संयोजक डॉ. पी.सी. जाट ने बताया कि यूथ पार्लियामेन्ट 2026 में जिले के कॉलेज में अध्ययनरत 19 से 25 वर्ष के सभी नियमित व स्वयंपाठी विद्यार्थी भाग ले सकते है। इच्छुक विद्यार्थी 19 फरवरी तक अपना नाम डॉ. पी.सी. जाट व अशोक सिह को पंजिकृत करवा सकते हैं। जिला स्तर पर 10 विद्यार्थियों का चयन किया जायेगा जो प्रदेश स्तर की यूथ पार्लियामेन्ट 2026 में भाग लेगें।

ब्राह्मण महासंघ में दीपक मिश्रा प्रदेश मंत्री मनोनीत

दौसा। ब्राह्मण महासंघ युवा प्रकोष्ट के प्रदेशाध्यक्ष दीपक शर्मा ने महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष वेदप्रकाश उपाध्याय की सहमति पर समाजसेवी दीपक मिश्रा तूंगा प्रदेश मंत्री के पद पर मनोनीत किया है। यह मनोनयन उनके द्वारा समाज हित में किए गए उल्लेखनीय कार्यों, निरंतर सामाजिक सक्रियता एवं संगठन के प्रति समर्पण को देखते हुए किया गया है। दीपक मिश्रा लंबे समय से समाजसेवा के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए गरीब व जरूरतमंद परिवारों की सहायता, युवाओं को सामाजिक कार्यों से जोड़ने, शिक्षा एवं सामाजिक जागरूकता के कार्यक्रमों, तथा समाज को संगठित कर सकारात्मक दिशा देने जैसे कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। उनकी नियुक्ति पर समाज में हर्ष का माहौल है। डा.बुद्धि प्रकाश शर्मा, डॉ. विकाश शर्मा, डॉ. संध्या शर्मा दौसा, डॉ. भावना शर्मा सैंथल, डॉ अभिषेक शर्मा सर्जन दौसा, डॉ. अनीता शर्मा बगरू, हर्षित शर्मा सचिवालय, अंकेश मिश्रा, अतुल मिश्रा तूंगा, रामगोपाल शर्मा नांगल वाले, परमानंद रलावता, हिमांशु बापीवाल, जयप्रकाश जोशी, मनीष तिवाड़ी, रमाकांत हीरो ने प्रदेशाध्यक्ष का आभार व्यक्त करते हुये बधाई दी है।

28 को विशाल मेला भरेगा

मनोहरपूर । श्री श्री 1008 श्री किशन दास जी महाराज एवं श्री श्री 108 श्री साधुदास जी महाराज के आशीर्वाद से श्री श्री 1008 श्री छबीले शरण देवाचार्य जी महाराज श्री ऋषिकेश द्वाराचार्य पीठाधीश्वर जोहड़ा धाम छारसा की अनुकम्पा से श्री सिद्ध बाबा आश्रम धवहाली धाम पर शनिवार, दिनांक 28 फरवरी 2026 को विशाल मेला लगेगा साधु सुदामा दास ने बताया कि आपको यह जानकर हर्ष होगा कि श्री सिद्ध बाबा धवाली आश्रम में हर वर्ष कि भाति इस वर्ष भी प्रातः स्मरणीय महात्मा श्री किशनदास जी महाराज एवं श्री साधुदास जी महाराज व श्री रतनदास जी महाराज की तपोस्थली धवहाली धाम पर विशाल मेले का आयोजन किया जा रहा है जिसमें अधिक से अधिक संख्या में पधारकर महाराज के दर्शन लाभ प्राप्त करें एवं अपने जीवन को सफल बनावें।

दीदीज विद डीएम' कार्यक्रम आयोजित

टोंक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खुशहाल गांव विकसित प्रदेश की भावना को साकार करने के लिए महिला शक्तिकरण के तहत राजीविका की स्वंय सहायता समूह की महिलाओं को उद्यमी बनाना और उनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक करना है। इसी के तहत राजस्थान सरकार के बजट 2026-27 में मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना के अन्तर्गत राज्य की लखपति दीदीयों को ब्याज अनुदान पर दिये जा रहे ऋण की सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर एक लाख पचास हजार रुपये की गई है। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल राज्य सरकार की इस योजना का लाभ टोंक जिले के स्वंय सहायता समूह की महिलाओं को मिले।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

जनगणना में किए जाने वाले कार्यों के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ

अलवर । जिला कलक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी डॉ. आर्तिका शुक्ला की अध्यक्षता में आज जिला परिषद सभागर में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकान गणना कार्य के लिए दो दिवसीय जिला एवं चार्ज अधिकारियों के जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ हुआ।

जिला कलक्टर ने प्रशिक्षण में आए प्रशिक्षणार्थियों से कहा कि जनगणना

■ **प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकान गणना कार्य के लिए दो दिवसीय जिला एवं चार्ज अधिकारियों के जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ हुआ**

राष्ट्रीय महत्व का कार्य है, जिसे पूर्ण गंभीरता, पारदर्शिता और शुद्धता के साथ सम्पन्न कराना आवश्यक है। उन्होंने कहा

जिला कलक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी डॉ. आर्तिका शुक्ला की अध्यक्षता में जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ हुआ।

कि इस बार जनगणना प्रक्रिया में दो महत्वपूर्ण नवाचार किए गए हैं। पूरी जनगणना प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संचालित होगी, जिसमें जनगणना प्रबंधन पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नवाचार के तहत नागरिकों को पहली बार सेल्फ एन्यूमरेशन (स्वयं गणना) की सुविधा भी मिलेगी, जिससे वे अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी अधिकारी समयबद्ध, त्रुटिरहित और पारदर्शी कार्य निष्पादन सुनिश्चित करें तथा प्रशिक्षणार्थी गणनता के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करे, जिससे फील्ड कार्य के दौरान किसी प्रकार की त्रुटि व असुविधा का सामना नहीं करना पडे तथा निर्धारित कार्य को समयबद्ध रूप में पूर्ण किया जा सके।

मास्टर ट्रेनर जनगणना निदेशालय के सहायक निदेशक महेश कुमार एवं सुभाष यादव ने प्रशिक्षणार्थियों को उनके दायित्वों एवं कार्य प्रणाली की विस्तार से जानकारी दी।

'बिना अनुमति के डीजे बजाया तो होगी कार्यवाही'

कोटपूतली। निकटवर्ती ग्राम शुक्लावास-पिचाणी में अब बिना अनुमति के डीजे बजाने वालों की खैर नहीं। इसको लेकर एसडीएम रामावतार मीणा ने सरूण्ड थानाधिकारी यषपाल सिंह को कार्यवाही के निर्देष दिये हैं।

उल्लेखनीय है कि समाजसेवी राधेष्याम शुक्लावास ने जिला कलक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर बिना अनुमति के तेज ध्वनि में डीजे बजाने वालों पर कार्यवाही की मांग की थी। पत्र में बताया था कि शादियों, उत्सवों समेत धार्मिक कार्यक्रमों के दौर में इन दिनों कस्बा सहित आसपास के क्षेत्र में सड़कों पर बेखौफ घुम रहे तेज ध्वनि के डीजे ने विभिन्न गंभीर बीमारियों से जुझ रहे मरीजों समेत बुजुर्गो व आम आदमी का जीवन दुभर कर दिया हैं। वहीं बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में जुटे विधार्थियों के सामने भी बड़ी समस्या खड़ी कर दी हैं। हालात इस कदर विकट हैं कि इन कर्कस आवाज वाले डीजे को रोकने के लिये ना कोई नियम हैं एवं ना कोई कायदा, आबादी क्षेत्र में कितनी डेसीबल आवाज पर डीजे बजाया जायें इसका कोई मानक भी नहीं हैं। दिन में किसी भी समय ये मोबाईल डीजे क्षेत्र की सड़कों, गलियों व मौहल्लों में तेज ध्वनि पर अष्लील व भद्दे गाने बजाते हुये निकलते हैं। जिन पर कोई कार्यवाही नहीं होती, यहां तक की कस्बे में कचहरी परिसर, न्यायालय परिसर,

■ **समाजसेवी राधेष्याम शुक्लावास ने जिला कलक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर की थी कार्यवाही की मांग**

पुलिस थाना समेत जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय व जिला कलेक्ट्रेट के पास भी बेखौफ होकर ये मोबाईल डीजे बजाये जाते हैं। पूर्व में इन मोबाईल डीजे में 4 से 6 स्पीकर ही होते थे, किन्तु अब 15 से 20 स्पीकरों वाले बड़े डीजे भी आ गये हैं। जो दिन ही नहीं रात्रि के समय में भी ध्वनि प्रदूषण करते हुये रास्तों से गुजरते हैं। इन मोबाईल डीजे का संचालन करने वाले अधिकांष नवयुवक ही हैं।

मनरेगा योजना में कटौती के जनविरोधी निर्णय को लेकर सौंपा ज्ञापन

कोटपूतली। कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के कोटपूतली-बहरोड़ जिलाध्यक्ष कमल पायला ने भाजपा सरकार की खेल विरोधी नीतियों, मनरेगा योजना में कटौती के जनविरोधी निर्णय व प्रदेश में बढ़ते नशे के प्रचलन को लेकर जिला कलक्टर प्रियंका गोस्वामी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी खेलकूद प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष अमीन पठान के निर्देशानुसार जिले के खिलाड़ी एवं खेल प्रेमी राज्य सरकार का ध्यान प्रदेश में खेल में खेलों की अपेक्षा भाजपा सरकार द्वारा मनरेगा योजना में की गई कटौती के निर्णय एवं युवाओं के बढ़ते नशे की गंभीर समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहते हैं।

मनरेगा योजना ग्रामीण भारत के गरीब, मजदुर, किसान एवं बरोजगार युवाओं के लिये जीवन रेखा के समान है। यह योजना केवल रोजगार ही नहीं, बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। लेकिन हाल ही में मनरेगा के बजट एवं कार्य दिवसों में कटौती कर लाखों गरीब परिवारों के सामने रोजगार का संकट खड़ा कर दिया गया है। मनरेगा में कटौती से ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ेगी, पलायन बढ़ेगा, गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति और कमजोर होगी। यह निर्णय विशेष रूप से मजदूर वर्ग, महिलाओं, युवाओं एवं कमजोर वर्गों के हितों के खिलाफ है। इसके अतिरिक्त कई ग्रामीण युवा एवं खिलाड़ी भी मनरेगा के माध्यम से अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुये खेल गतिविधियों से जुड़े रहते हैं।

युवाओं में मादक पदार्थों की उपलब्धता और बढ़ता उपयोग समाज के भविष्य के लिये खतरा बनता जा रहा है। खेल गतिविधियों की कमी भी युवाओं को नशे की ओर धकेल रही है। जब से भाजपा सरकार सत्ता में है तब से खिलाड़ियों को टीओए नहीं दिया जा रहा है। पिछली बार में कांग्रेस सरकार ने खिलाड़ियों के लिए राज्य प्रतियोगिता में भाग लेने पर 600 रुपए प्रति खिलाड़ी प्रतिदिन एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी को 1000 प्रतिदिन के हिसाब से अनुदान नियम बनाया था। वह अब राज्य क्रीडा परिषद में फाईलों में सिमट कर रह गया। पिछली बार कांग्रेस सरकार खिलाड़ियों को हर प्रतियोगिताओं में पदक जीतने पर अनुदान राशि दी जाती थी जो अब केवल सीमटकर एक खिलाड़ी को साल में कितनी भी मैडल लेने के उपरांत केवल एक राशि दी जाने का प्रावधान कर रखा था। कांग्रेस सरकार ने जिन खिलाड़ियों को नियुक्ति दी थी उनकी नौकरी संकट में है।

विभागीय नियमों के कारण कई खिलाड़ियों को नौकरी करने में परेशानी आ रही है। सरकार अनसुनी कर रही है साथ ही नई आउट ऑफ फॉर्म की पॉलिसी में किसी प्रकार की नियुक्ति नहीं दी जा रही है। विगत कांग्रेस सरकार ने खेल स्टेडियम निर्माण कार्य एवं सुविधाओं को जारी किया था उन सभी को बंद कर दिया गया है और नवीनतम किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जा रही है।

मैड पुलिस चौकी बनी 'सुनसान चौकी', ग्रामीणों का फूटा गुस्सा

पावटा। विराटनगर थाना क्षेत्र की मैड पुलिस चौकी ग्रामीणों के उग्र विरोध का केंद्र बन गई। ग्रामीणों ने चौकी परिसर में एकत्र होकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और चौकी प्रभारी प्रकाश सिंह राठौड़ की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए। ग्रामीणों का आरोप है कि मैड क्षेत्र व मालीवाड़ा गांव में पिछले दिनों एक दर्जन से अधिक चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस एक भी मामले का खुलासा नहीं कर पाई। सात दिन पूर्व खेत से चोरी हुई बिजली की केबल को जलाते हुए दो संदिग्धों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उन्हें पुलिस चौकी लेकर पहुंचे।

ग्रामीणों का कहना है कि चौकी पर न तो चौकी प्रभारी मौजूद थे और न ही कोई अन्य पुलिसकर्मी। कई घंटों तक ग्रामीण संदिग्धों को चौकी में बैठाए रहे और फोन पर सूचना देते रहे, लेकिन कोई पुलिसकर्मी नहीं पहुंचा। मजबूर होकर ग्रामीणों को संदिग्धों को छोड़ना पड़ा। अगले दिन जब ग्रामीण रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे तो चौकी फिर खाली मिली। इससे लोगों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने चौकी प्रभारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों के अनुसार मैड पुलिस चौकी, जो विराटनगर थाने के अंतर्गत आती है, वर्तमान में महज एक कांस्टेबल के भरोसे संचालित हो रही है। यह कांस्टेबल भी थाने से अस्थायी रूप से लगाया गया है।

6वां विशाल जागरण महोत्सव संपन्न

पावटा। श्री श्याम सेवक परिवार माँजुकोट के तत्वावधान में 26वां विशाल श्याम जागरण महोत्सव श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ हरिदास जी महाराज एवं ब्रह्म जोड़ी प्रेम दास जी महाराज (नरसिंह मंदिर, माँजुकोट) द्वारा विधिवत दीप प्रज्वलित कर किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ ही पूरा पंडाल जय श्री श्याम के जयकारों से गूंज उठा।वरात्रि में आयोजित भव्य जागरण में संध्या एंड पार्टी द्वारा मधुर भजनों की प्रस्तुति दी गई। कलाकारों ने बाबा के दरबार की महिमा का गुणगान करते हुए एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किए, जिस पर श्रद्धालु देर रात तक झूमते नजर आए।

बाबा की झांकी और आकर्षक सजावट ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम का मंच संचालन राजेश शर्मा ने प्रभावशाली ढंग से किया। आयोजन को सफल बनाने में मंडल अध्यक्ष श्याम सुंदर यादव, उपाध्यक्ष मेहर सिंह यादव, कोषाध्यक्ष श्याम

श्री श्याम भजनों में झूमे श्याम भक्त।

सुंदर यादव, सुंदरम सैनी, हरिराम सैनी, एडवोकेट विजय यादव, पुष्कर शर्मा, दशरथ यादव, महेंद्र सैनी, दयानंद यादव, उमराव राबड़, प्रकाश यादव, शंकर लाल जांगिड़, महेश यादव एवं जुगल किशोर यादव सहित अनेक भक्तों का विशेष सहयोग रहा।

पूरे आयोजन में अनुशासन और व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा गया। श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद एवं जलपान की समुचित व्यवस्था की गई। अंत में आरती एवं प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। भक्तों ने कहा कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजन समाज में एकता, प्रेम और सद्भाव का संदेश देते हैं तथा नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ने का कार्य करते हैं। वही श्री श्याम वन्दना परिवार पावटा का 29वा वार्षिक उत्सव विजया एकादशमी के दिन श्याम मंदिर पावटा में धूमधाम से मनाया गया। जिसमें श्री श्याम वन्दना परिवार के संरक्षक महेंद्र सिंह चौहान ने दीप प्रजलित कर शुभारंभ किया।

13 घरेलू गैस सिलेंडर व अन्य उपकरण जब्त

अलवर । घरेलू गैस के व्यावसायिक कार्य में दुरूपयोग को रोकने हेतु गठित जांच दल द्वारा आज शहर के दाउदपुर फाटक के पास एवं सोनावा डूंगरी पर कार्रवाई कर 13 घरेलू गैस सिलेंडर व अन्य उपकरण जब्त करने की कार्रवाई की गई।जिला रसद अधिकारी विनोद जुनेजा ने बताया कि टीम द्वारा दाउदपुर फाटक के पास लवली मेहंदीरत्ता निवासी शिवाजी पार्क द्वारा घरेलू गैस की अवैध रिफलिंग करने पर दुकान पर एचपी गैस के 13 घरेलू सिलेंडर, एक बांसुरीनुमा गैस रिफलिंग यंत्र तथा एक मोटर अवैध रूप से संग्रहित पाए गए, जिन्हें जब्त कर मैसर्स ज्योति गैस एजेंसी के प्रतिनिधि को सुपुर्द किया। इसी प्रकार सोनावा डूंगरी पर एक मकान में ग्राम रामपुर निवासी बृजेश सैनी द्वारा अवैध रिफलिंग करने पर मौके पर अवैध रिफलिंग में उपयोग की जाने वाली इलेक्ट्रिक मोटर मय 5 रैग्यूलेटर, 1 गैस सिलेंडर को जब्त कर मोहन गैस एजेंसी के प्रतिनिधि को सुपुर्द किया गया।

भरतपुर केंद्रीय बस स्टैंड पर रोडवेज कर्मचारियों का 2 दिवसीय धरना

भरतपुर । केंद्रीय बस स्टैंड पर सोमवार से रोडवेज कर्मचारी दो दिवसीय धरने पर बैठ गए। यह धरना विभिन्न लंबित मांगों को लेकर किया जा रहा है। कर्मचारियों का आरोप है कि पूर्व में कई बार ज्ञापन देने और

■ **8 मांगों को लेकर उग्र आंदोलन की चेतावनी**

छोटे-बड़े धरना-प्रदर्शन करने के बावजूद सरकार और रोडवेज प्रशासन ने उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। राजस्थान स्टेट रोडवेज यूनियन एटक के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि रिटायर्ड और कार्यरत कर्मचारियों की समस्याएं लंबे समय से लंबित हैं। 2 फरवरी को सभी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था

केंद्रीय बस स्टैंड पर सोमवार से रोडवेज कर्मचारी दो दिवसीय धरने पर बैठ गए।

और समाधान की मांग की गई थी, लेकिन अब तक उच्च प्रबंधन की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि न तो समस्याओं का समाधान किया गया और न ही प्रदेश नेतृत्व को वार्ता के लिए बुलाया गया। ऐसे में प्रदेशभर में दो दिवसीय धरना देने का निर्णय लिया गया है। यदि सरकार ने इस बार भी अनदेखी की तो आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा।

रोडवेज कर्मचारियों की प्रमुख 8 मांगें: नई 2500 रोडवेज बसों की खरीद की जाए।

बस संचालन से जुड़े रिक्त 50: पदों पर भर्ती की जाए। अनुबंध पर कार्यरत चालक-परिचालकों को नई भर्ती में प्राथमिकता दी जाए। आर्टिजन ग्रेड सेकेंड व फर्स्ट की पदोन्नित कर ग्रेड-पे 2400 से बढ़ाकर 2800 की जाए। नॉन-आईटीआई मैकेनिकों को पदोन्नित का अवसर दिया जाए।

महिला कर्मचारियों को केयर लीव का लाभ दिया जाए। चालक-परिचालकों से 12-15 घंटे ड्यूटी लेने पर रोक लगे। मूल कार्य से हटाकर अन्य कार्य कराने और 3 हजार किमी चलाने की बाध्यता पर पुनर्विचार किया जाए। कर्मचारियों ने साफ कहा है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जिसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी।

नाम परिवर्तन

मैंने अपनी बेटी का नाम इल्मा अख्तर से बदलकर सारा अख्तर कर दिया है, रफीक अहमद पुत्र अब्दुल रहीम, निवासी- 37, गली नंबर 5, जियाउद्दीन कॉलोनी, चार दरवाजा, जयपुर। भविष्य में इसी नाम से जाना जाए।

मैं छुट्टू कुरैशी (Chhutu Kureshi) मेरे पैनकार्ड में पिताजी का नाम Yasin Khan की जगह गलती से Yaseen Kureshi दर्ज है। जबकि अन्य सभी दस्तावेजों में सही नाम यासीन खान (Yasin Khan) है। भविष्य में इसी नाम से जाना जावें। बी-455, ब्लॉक-बी, विद्याधर नगर

श्रीराम आयुर्वेद नर्सिंग इंस्टीट्यूट
नायला, जयपुर
प्रवेश प्रारम्भ **DAN&P**
(डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग एंड फार्मेसी)
आवेदन की अंतिम तारीख 26 /02 /2026
योग्यता 10+2
(किसी भी विषय मे) अवधि- 2 वर्ष 6 माह
दूरभाष : 9001009456

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य श्री बाबूलाल रैगर पुत्र श्री गणेश रैगर, जाति रैगर, निवासी अम्बेडकर नगर, मनोहरपुर, तहसील-शाहपुरा, जिला जयपुर का पुत्र कैलाश चन्द बैनीवाल पुत्र श्री बाबूलाल, एवं मेरी पुत्रवधु नीतू पत्नी कैलाश चन्द बैनीवाल द्वारा मेरे अभिभाष्य को तंग व परेशान किया जा रहा है एवं उक्त दोनो मेरे अभिभाष्य के कहने सुनने मे नही है एवं मेरे अभिभाष्य के पुत्र एवं पुत्रवधु ने मेरे अभिभाष्य एवं उसकी पत्नी का परित्याग कर रखा है उनके द्वारा मेरे अभिभाष्य व उसकी पत्नी की वृद्धावस्था एवं बीमारी मे भी किसी प्रकार की कोई सेवा, सुश्रुषा व देखभाल नही की जा रही है ना ही किसी प्रकार का कोई भरण पोषण दिया जा रहा है। इस कारण मेरे अभिभाष्य ने अपने पुत्र कैलाश चन्द बैनीवाल को अपनी समस्त चल व अचल सम्पति से पूर्ण रूप से बेदखल कर दिया है अब उक्त कैलाश चन्द बैनीवाल का मेरे अभिभाष्य की किसी भी प्रकार की चल व अचल सम्पति पर कोई हक व अधिकार नही रहा है इस कारण मेरे अभिभाष्य की चल व अचल सम्पति के सम्बन्ध मे उक्त कैलाश चन्द बैनीवाल द्वारा किसी प्रकार का संव्यवहार किया जाता है तो वह उसकी स्वंय की जिम्मेदारी होगी तथा उक्त समस्त प्रकार के संव्यवहार शून्य व अवैध होगे।
नरेश कुमार शर्मा, एडवोकेट, शाहपुरा, जयपुर
मोबाईल नम्बर- 9461576197

खोया पाया

मेरे मकान 3/634 मालवीय नगर जयपुर का मूल अलॉटमेंट लेटर मालवीय नगर में कहीं गिर गया है मिलने पर सूचित करें- श्याम सुंदर साहू 9024142461

मेरे मकान संख्या 121/24, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर के मूल अलोटमेन्ट लैटर, पजेशन लैटर, No Dues Certificate, अदेय प्रमाण पत्र कही गुम हो गये है। मिलने पर सूचित करें- लक्ष्मणदास कर्मचन्दानी- 9672502518

यह कि मेरे भूखण्ड संख्या 14/OC/61 रिंग रोड परियोजना ग्राम-सुरजपुरा त.सांगानेर जयपुर का मूल आवंटन पत्र व कब्जा पत्र मालवीय नगर केलगिरी पर कहीं खो गया है। अतः किसी को भी वह मिलने पर मुझे सूचित करें। भगवान सहाय चौधरी, मो. 9829011975

परिशिष्ट A-संख्यांक 2
न्यायालय : एसीजे सह जेएम-3, जिला जयपुर, (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री आयुषी देवपुरा
विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए समन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
मूल सिविल वाद/3755/2025
हरीराम शर्मा व अन्य बनाम सौरभ टांक व अन्य
NEXT DATE: 17-02-2026
प्रेषिती-
हर आम खास, हर आम खास
हरीराम शर्मा व अन्य ने आपके विरूद्ध के लिए वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में तारीख 17-02-2026 को 10:30 AM बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए समन किया जाता है आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिए गए हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान् प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसी सब दस्तावेजें जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो या न हो, अपनी प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों की, लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।
यह आज तारीख 12-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
प्रस्तुतकार
अपर सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट संख्या-03 जयपुर महानगर द्वितीय
मोहर अदालत

परिशिष्ठ H- प्रकीर्ण, संख्यांक 4
न्यायालय : एसीजे सह जेएम-3, जिला जयपुर, (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री आयुषी देवपुरा
हेतुक दर्शित करने के लिए सुचना
(साधारण प्रारूप)
विविध सिविल प्रकरण (41)/3783/2025
हरीराम शर्मा व अन्य बनाम सौरभ टांक व अन्य
NEXT DATE: 17-02-2026
प्रेषिती-
हर आम खास, हर आम खास
उक्त ने न्यायालय में आवेदन किया है कि अतः आपको चेतवानी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने के लिए ता0 17-02-2026 को 10:30 AM पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा, जिसे सम्यक रूप से अनुदेश दिया गया है, उपसंजात हों। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो आवेदन की सुनवाई और उसका निपटारा एकपक्षीय रूप से किया जायेगा। यह आज ता0 12-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
प्रस्तुतकार
अपर सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट संख्या-03 जयपुर महानगर द्वितीय
मोहर अदालत

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1387
चूंकि प्रार्थी श्री RATAN LAL SAINI, C 28, NANDPURI COLONY, HAWA SADAK, SHYAM NAGAR, JAIPUR, RAJASTHAN ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास उत्तम हैल्थ एण्ड एजुकेशन सोसायटी HOTEL, UTTAM PALACE, TONK PHATAK, JAIPUR, RAJASTHAN के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 11.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 16.04.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1322
चूंकि प्रार्थी श्री VAID PRAKASH DHAR, 80/156, PATEL MARG, MANSAROVAR, JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास शैवाइट ओ आर जी चैरिटेबल ट्रस्ट 80/156, PATEL MARG, MANSAROVAR, JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 12.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 17.04.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1351
चूंकि प्रार्थी श्री VATSLA SRIVASTAVA, 216, JAGDAMBA NAGAR A, DHAWAS ROAD, HEERA PURA, JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास जननी फाउंडेशन D-2/372, CHITRAKOOT SCHEME, VAISHALI NAGAR, JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक